न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ईजराय प्रार्थना पत्र.:–05 / 2019 दायर दिनांकः 26.11.2019

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रविन्द्र कुमार पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. श्रीमति बरजी पत्नी गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बृजराज पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जर्ये भू–स्वामी तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी।
3. उपपंजीयक देई द्वारा नायब तहसीलदार उपतहसील देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

इजराय प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 88, 92(क), 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री भारत भूषण गौतम।

निर्णय दिनांक 01.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई तह0 नैनवां की खसरा संख्या 4053 रकबा 37–08 बिघा में से 8–13 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 19.11.75 को प्रार्थी रविन्द्र के पिता, एवं प्रार्थिनी बरजी के पति श्री गोपाल को किया था, तथा उक्त आवंटित भूमि का उक्त बडे खसरा संख्या में नई संख्या 4053 / 1 कायम कर दिनांक 20.11.75 को कब्जा दिया गया था, तथा दखल दी गई भूमि का नक्शा भी उसी समय तैयार किया गया था। यह कि उक्त भूमि पर श्री गापाल जी अपने जीवनकाल तक काबिज होकर काश्त करते रहे, इसलिए उन्हें इस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। श्री गोपाल जी के देहावसान के उपरान्त प्रार्थीगण बहैसियत उत्तराधिकारी उक्त भूमि को काश्त करते रहे हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 अपने आपको खसरा संख्या 4053 / 4 का आवंटी होना बता कर प्रार्थीगण की भूमि में मदाखलत कर रहा है, इसलिए उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, तथा यह भी निवेदन किया कि गोपाल जी को दखल दी गई भूमि का दखलनामें के नक्शे अनुसार राजस्व के नक्शे में भी तरमीम की जावे।

वादीगण का वाद डिक्री करते हुए यह निर्णय दिया है कि प्रतिवादी सं.0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादपत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा सं0 4053 / 1 रकबा 08–13 बीघा वाके ग्राम देई पर वादीगण के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे, न ही ऐसा किसी अन्य से करावे, तथा गलत तरमीम नहीं करवाये। साथ ही उक्त भूमि की तरमीम वादीगण के पक्ष में किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस हेतु तहसीलदार नैनवां को निर्देश दिया जाता है, पालनार्थ पृथक से लिखा जावे। यह कि माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में समय पर ही मुताबिक दखलनाम एवं मौके पर कब्जे के आधार पर तहसीलदार नैनवा ने नक्शे में दुरूस्ती कर खसरा न.0 4053 / 1 अलग दर्ज कर दिया। यह कि माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2011 के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 बृजराज ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की, उक्त अपील का नम्बर बून्दी / 71 / 2011 उनवान बृजराज बनाम रविन्द्र कुमार आदि था। यह कि [illegible] प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2012 द्वारा बृजराज की अपील मन्जूर कर प्रकरण [illegible] न्यायालय में रिमाण्ड करने का आदेश दिया। यह कि माननीय राजस्व अपील [illegible] दिनांक 30.03.2012 के विरूद्व वादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल [illegible] अपील पेश की, उक्त [illegible] का नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं (बून्दी)

Scanned with CamScanner

अपील/टीए/3522/2012 उनवान रविन्द्र वगैरा बनाम बृजराज एवं अन्य था। यह कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वादीगण की अपील अपने निर्णय दिनांक 21.11.2013 द्वारा स्वीकार करते हुए निर्णय की पेज सं0 13 से 16 में समस्त तनकियात की विवेचना करते हुए तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय को अपास्त करते हुए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2011 को बहाल रखा। उक्त निर्णय माननीय न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है तथा उक्त निर्णय 2014 आरआरडी 146 पर रिपोर्ट भी हुआ है। यह कि प्रतिवादी बृजराज ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.11.2013 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका पेश की जिसका नं0 एसबी सिविल रिट पिटीशन नं0 34/2014 उनवान बृजराज बनाम रविन्द्र वगैरा था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादी बृजराज की रिट याचिका दिनांक 19.11.2014 को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2011 व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2013 को बहाल रखा गया। यह कि उक्त प्रकार से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2011 बहाल रखा गया है तथा उक्त निर्णय की पालना में श्री गोपाल जी को आवंटित खसरा नं0 4053/1 की 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसका दखलनामा मय नक्शा माननीय न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, के अनुसार पूर्व में ही माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार तहसीलदार नैनवा द्वारा नक्शे में तरमीम की जा चुकी है। यह कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत कोई कार्य माननीय न्यायालयों के आदेशो की अवहेलना होगी। यह कि प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण होने के उपरान्त भी प्रतिवादी कम 1 बृजराज वादीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि में कब्जा कर लेने की धमकी देता है तथा प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार नैनवा से मिल कर नक्शे में गलत तरमीम करवाना चाहता है जब कि उसे बाद आवंटन दखल दी गई भूमि का नक्शा आवंटन की पत्रावली में मौजूद है उस पर ही प्रतिवादी कम 1 बृजराज को काबिज रहने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रतिवादी कम 1 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के खाते व कब्जे की ग्राम देई स्थित खसरा नं0 4053/1 की 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे ओर न किसी अन्य से कराये तथा गलत तरमीम भी नहीं करवाये तथा प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार नैनवॉ को भी निर्देश दिया जावे कि वह माननीय न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वादीगण की भूमि के नक्शे एवं अन्य आवंटियों की आवंटन पत्रावलियों में उपलब्ध नक्शे के अनुसार ही खसरा नं0 4053 के नक्शे में तरमीम करे । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में नकल कॉपी निर्णय व डिकी दिनांक 07.07.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ, नकल कॉपी निर्णय दिनांक 21.11.2013 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, नकल कॉपी निर्णय दिनांक 19.11.2014 राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर, नकल कॉपी निर्णय दिनांक 30.03.2012 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या टी.ए./5197/2016/बून्दी में बृजराज की ओर से प्रस्तुत की गई। जिसके निर्णय दिनांक 15.07.2019 से निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नैनवां का आदेश दिनांक 26.02.2016 निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नैनवां को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त निगरानी के निर्णय दिनांक 15.07.2019 की अनुपालना पत्रावली दिनांक 05.08.2019 को पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णयों तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त निगरानी के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2014 के आलोक में यह निर्णय दिया जाता है कि ग्राम देई तहसील नैनवां की खसरा संख्या 4053/1 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा भूमि की तरमीम दखलनामें के अनुसार जो वर्तमान में अप्रार्थी बृजराज के पक्ष में हो रही है, को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण ... अप्रार्थीगण को इस आशय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

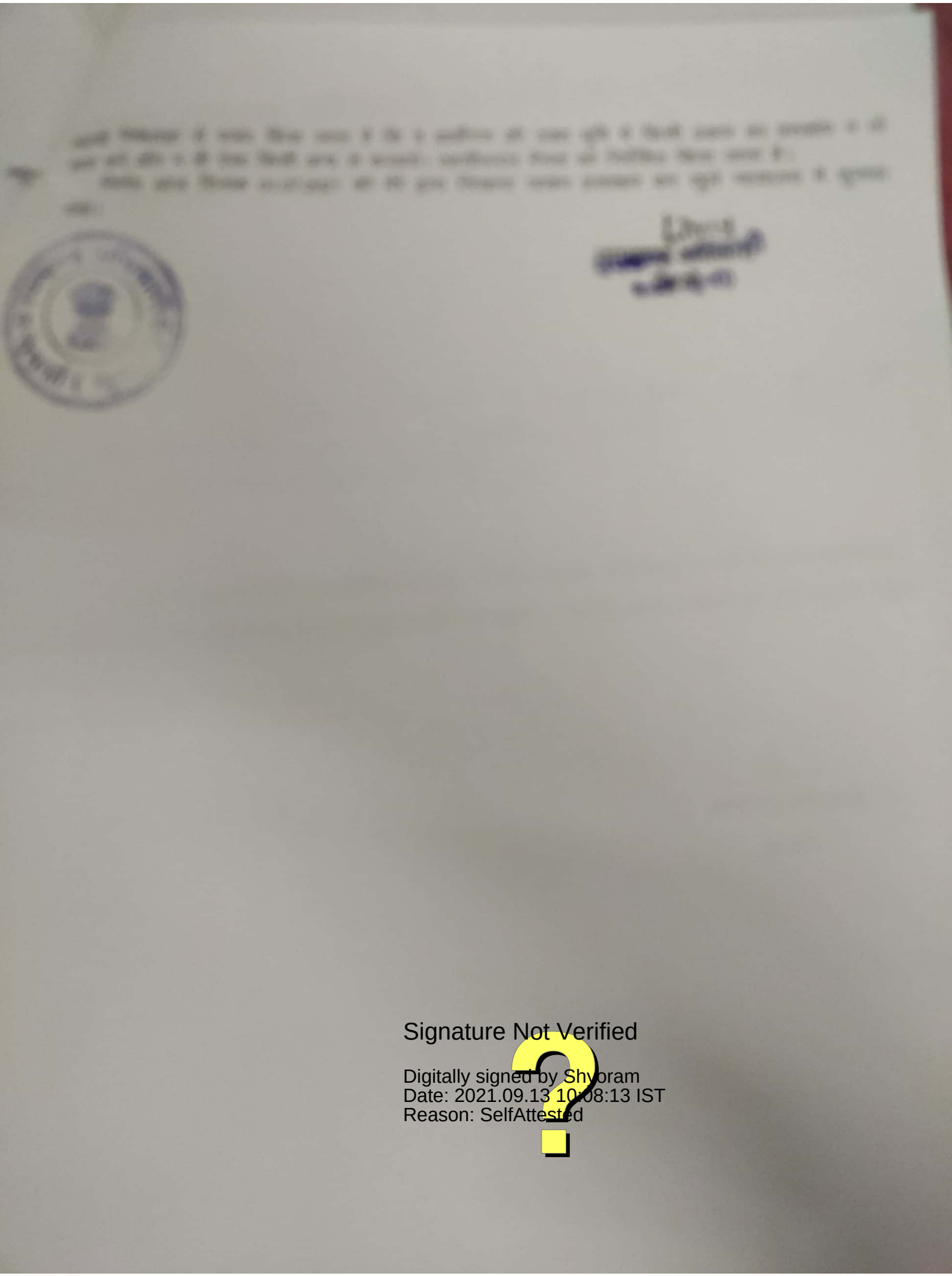

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner